न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

प्रा0 पत्र संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
1/40	21.02.2023	30.01.2026

बउनवान

01. मोहम्मदी पत्नी ईशाक खॉ जाति मेव, निवासी कारोली, तह० व जिला अलवर, हाल निवासी 45 मोती डूंगरी अलवर राज०

प्रार्थीया

बनाम

01. असालू खॉ
02. रहमूदीन खान पुत्रान चाहत खान, निवासीयान ग्राम पाडलिया तह० मालाखेडा जिला अलवर राज०
03. मामुरी पत्नी सुब्बा पुत्री स्व० महासिंह, जाति मेव, निवासी ग्राम पाडलिया, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राज० हाल निवासी ग्राम चोरबसई खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा, राज०(मृतका)

3/1 सुभान खान पुत्र
3/2 शौकत खान पुत्र
3/3 लियाकत खान पुत्र
3/4 हुसैन खान पुत्र
3/5 समयदीन खान पुत्र
3/6 जैकम खान पुत्रान स्व० मामूरी हाल निवासीयान ग्राम चोरबसई खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा, राज०

04. बशीरी पत्नी शादी पुत्री स्व० महासिंह जाति मेव निवासी ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी विनस ग्राम चोरबसई खानपुर मेवान तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर वर्तमान जिला खैरथल तिजारा, राज०
05. रेशम पुत्री दलपत जाति मेव निवासी ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर
06. साहबुदीन पुत्र दलपत जाति मेव निवासी ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय

वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बरान 749 रकबा 0.38 हैक्ट०, 750 रकबा 2.210 हैक्ट०, 751 रकबा 0.47 हैक्ट०. 753 रकबा 1.29 हैक्ट० प्रार्थीया का सालिम हिस्सा है व आराजी खसरा नम्बर 761 रकबा 0.16 हैक्ट०, 762 रकबा 0.57 हैक्ट०, में प्रार्थीया का 7/10 हिस्सा व खसरा नम्बर 756 रकबा 1.58 हैक्ट०, में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा है व अप्रार्थीगण रेशम व सहाबुदीन का 1/3 – 1/3 हिस्सा है जो ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा मे स्थित है। प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज दाखिल है । प्रार्थीया की आराजी नजरी नक्शे में रंग पीले से अंकित है व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 754 वाके ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर में नक्शे में हरे रंग से दर्ज है व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की आराजी खसरा संख्या 757 ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर में नजरी नक्शे में रंग बैगनी से दर्ज है व आराजी खसरा संख्या 756 में प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा है जो नक्शे में रंग पीले से दर्ज है व 1/3 हिस्सा रेशम का व 1/3 हिस्सा साहबुदीन का है जो नजरी नक्शे में रंग काले से दर्ज है व आराजी खसरा नंबर 761/2962 राज्य सरकार की है जो रंग पीले से दर्ज है। जो आराजी ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा में स्थित है व रंग सुर्ख करीब 10 फुट कदीमी रास्ता चौडे मार्क ए, बी, सी, डी व मार्क सी, डी, ई, एफ, जी, एच, से दर्ज है। जिस पर प्रार्थीया का निकास आमद रफत मौके पर जारी है। उक्त रास्ता नक्शा रंग सुर्ख प्रार्थना पत्र मे विवादित रास्ता है। जिस रास्ते से प्रार्थीया अपनी उक्त आराजी मे आती जाती रही है व अपनी फसल ले जाती रही है व हल बैल, ट्रैक्टर आदि अपनी आराजी पर लाती ले जाती रही है। लेकिन विवादित रास्ता कदीमी को हाल ही में अप्रार्थीगण ने कानून को खुद हाथ मे लेकर बन्द कर दिया है।

प्रार्थीया की आराजी में आने जाने के लिए विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया को तंग व परेशान करके प्रार्थीया की आराजी को सस्ते दामो में खरीदने का दबाव बनाना चाहते है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा 6 लट्ठबाज है व खूखार किस्म के लोग है। जो प्रार्थीया की आराजी को हडप करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को भारी मानसिक, आर्थिक व शारीरिक हानि का सामना करना पडेगा। प्रार्थीया महिला है व अप्रार्थीगण खूखार व खतरनाक व प्रभावशाली व शक्तिशाल लोग है जिन्होने प्रार्थीया के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना रखा है व अप्रार्थीगण ने दिनांक 06.02.2023 को उक्त कदीमी रास्ता बन्द कर दिया है। उक्त रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिये जाने से प्रार्थीया पूर्व की भाँति विवादित रास्ते का उपयोग व उपभोग नही कर पा रही है व अपनी आराजी पर आ जा नही पा रही है। प्रार्थीया को काफी नुकसान हो चुका है व प्रार्थीया की फसल सूख कर बर्बाद हो रही है। प्रार्थीया विवादित रास्ते के बदले अप्रार्थीगण को विवादित रास्ते की डी. एल. सी. रेट की राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित रास्ता मुन्दर्जे नक्शा रंग सुर्ख ए बी सीडी से तथा सी डी ई एफ जी एच वाके ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा जिला अलवर अप्रार्थीगण से खुलवाया जाकर रास्ता कायम किये जाने व डी.एल.सी. रेट की राशि रास्ते मुतनाजा बाबत् प्रार्थीया से जमा करवायी जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड मे रास्ते के बाबत् इन्द्राज किया जावें व अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीया को विवादित रास्ते के उपयोग व उपभोग करने व रूकावट व मजामहत ना करे व प्रार्थीया को विवादित रास्ते का उपयोग व उपभोग करने देवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण तलब किये गये। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो से सहमत नही होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

तहसीलदार मालाखेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित विवादित आराजी की मौके की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा ने पत्र क्रमांक–राजस्व / 25 / 1590 दिनांक–03.12.2025 से अपनी मौका रिपोर्ट मे अंकित किया है कि :–

01. मौके पर आराजी खसरा संख्या 753, 751, 749, 750, व 756, 761, 762 पर पहुॅचने हेतु अन्य कोई रिकॉर्डेड रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही है तथा मौके पर भी उक्त आराजी पर पहुॅचने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नही है।

02. उक्त आराजी पर कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा यह प्रस्तावित रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होकर कृषि कार्य के लिए अत्यावश्यक है।

03. आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग खसरा संख्या 757 के पूर्वी मेड के मध्य से होकर उत्तरी मेड के समान्तर खसरा संख्या 754 के उत्तर–पश्चिम कोने तक चाहा गया है। जो मुख्य मार्ग से सम्पर्क में नही है तथा खसरा नम्बर 761, 762, 761 / 2962 मे से नही चाहा गया है। जिससे मुख्य सडक से उक्त प्रस्तावित रास्ते का संपर्क नही हो रहा है। अतः खसरा नम्बर 757 के उत्तर –पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 761, 762, 761 / 2962 के उत्तरी मेड के साथ 10 फुट चौडा रास्ता दिया जाना उचित है। खसरा नम्बर 761, 762, 761 / 2962 मे से रास्ता दिया जाने के बाद ही सरकारी रास्ता (पक्की डांबर सडक) से सीधा प्रार्थी के खेतों तक पहुॅच मार्ग सबसे निकटतम / लघुत्तम रहेगा। इसी रास्ते से संबंधित एक वाद श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, मालाखेडा के न्यायालय में असालू वगै0 बनाम मौहम्मदी विचाराधीन है, जिसमे भी जॉच रिपोर्ट एवं प्रस्ताव श्रीमान के द्वारा चाहा गया, जिससे सरकारी डांबर सडक से सीधा खसरा नम्बर 753 तक प्रस्तावित किया गया है, जो खसरा नम्बर 761, 762, 761 / 2962 में उत्तरी मेड के समान्तर 10 फुट चौडा व खसरा संख्या 757, 754, 755, 756 के मध्य स्थित मेड के दोनो तरफ 5–5 फुट (कुल चौडाई 10 फुट) प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ता लाल रंग से दर्शाया गया है।

04. उक्त प्रस्तावित रास्ते मे मौके पर कोई निर्माण, भवन, चाह / वोरबेल तथा वृक्ष नही है लेकिन खसरा नम्बर 761 में उत्तरी मेड के साथ प्रस्तावित रास्ते में ही एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

05. उक्त प्रस्तावित रास्ते में ,खसरा नम्बर 761 / 2962 सिवायचक (सरकारी) मे से उत्तरी मेड के समान्तर प्रस्तावित रास्ते में 121X10=1210 वर्गफुट भूमि आती है।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रास्ते का रकबा वर्ग मीटर
761 / 2962	112.45 वर्ग मीटर
761	60.96 वर्ग मीटर
762	164.60 वर्ग मीटर
757	146 वर्ग मीटर
754	146 वर्ग मीटर
756	195 वर्ग मीटर
755	85.35 वर्ग मीटर

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बिन्दू संख्या 03 में वर्णित खसरा संख्या–757 के उत्तरी पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 761, 762, 761 / 2962 में उत्तरी मेड के समान्तर 10 फुट चौडा व खसरा संख्या 757, 754, 755, 756 के मध्य स्थित मेड के दोनो तरफ 5–5 फुट (कुल चौडाई 10 फुट) प्रस्तावित मे से रास्ता दिया जाने के बाद ही सरकारी रास्ता (पक्की डांबर सडक) से सीधा प्रार्थी के खेतों तक पहुॅच मार्ग सबसे निकटतम / लघुत्तम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

रास्ता दिये जाने की नियमानुसार अभिशंषा की है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में ,खसरा नम्बर 761/2962 सिवायचक (सरकारी) मे से उत्तरी मेड के समान्तर प्रस्तावित रास्ते में 121X10=1210 वर्गफुट भूमि आती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी। उभय पक्ष ने तहसीलदार मालाखेडा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता दिये जाने पर सहमति दी।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार मालाखेडा की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) मे अन्य खातेदार को नवीन रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता की स्थिति मे ही दिये जाने का प्रावधान है और यह जोत के केवल सुविधा जनक उपयोग के लिये नही है। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 757 के उत्तर–पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 761, 762, 761/2962 के उत्तरी मेड के साथ 10 फुट चौडा व खसरा संख्या 757, 754, 755, 756 के मध्य स्थित मेड के दोनों तरफ 5 – 5 फुट (कुल चौडाई 10 फुट) रास्ता दिया जाना उचित है। खसरा नम्बर 761, 762, 761/2962 मे से रास्ता दिया जाने के बाद ही सरकारी रास्ता (पक्की डांबर सडक) से सीधा प्रार्थी के खेतों तक पहुँच मार्ग सबसे निकटतम/लघुत्तम रहेगा तथा इस रास्ते की लम्बाई तथा चौडाई लेने पर कुल रकबा 910.36 वर्ग मीटर बनता है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास निकटतम व लघुतम अन्य कोई रास्ता मौजूद नही होना बताया है।

धारा–251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुँचने के लिये अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

01. यह आवश्यकता आत्यान्तिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नही है और–
02. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है तो आदेश द्वारा (2) जहा उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे वहा ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध मे अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जावेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखो में रास्तो के रूप में अभिलिखित की जावेगी।
03. वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) मे निर्दिष्ट सुविधाओ मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है। उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत मे होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जावे एवं कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेगे। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की बहस में तथा तहसीलदार मालाखेडा द्वारा प्रेषित अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी को नया पहुँच मार्ग सृजित करने की आवश्यकता बताई है। वैकल्पिक साधन का अभाव बताया है।

राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम–1 के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी है कि कृषि भूमि दरो का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। प्रदत्त की गयी भूमि राजस्व अभिलेखों मे रास्ते के रूप में अभिलिखित की जावेगी। वाके ग्राम पडलिया तहसील

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

मालाखेडा के खसरा नम्बर 761, 762, 761/2962 में उत्तरी मेड के समान्तर 10 फुट चौडा व खसरा संख्या 757, 754, 755, 756 के मध्य स्थित मेड के दोनो तरफ 5–5 फुट (कुल चौडाई 10 फुट) मे से रास्ता दिया जाने के बाद ही सरकारी रास्ता (पक्की डांबर सडक) से सीधा प्रार्थी के खेतों तक पहुँच मार्ग सबसे निकटतम/लघुत्तम रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ता कायम किये जाने हेतु खसरा नम्बर 761/2962 सिवायचक (सरकारी) मे से उत्तरी मेड के समान्तर प्रस्तावित रास्ते में 121X10=1210 वर्गफुट भूमि आती है तथा इस रास्ते की लम्बाई तथा चौडाई लेने पर कुल रकबा 910.36 वर्ग मीटर बनती है। विभागीय परिपत्र दिनांक–14.06.2013 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जावें। आराजी खसरा संख्या–761, 762, 761/2962, 757, 754, 755, 756 वाके ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा में घोषित मार्ग को राजस्व अभिलेखों में रास्ता दर्ज किया जावें एवं रास्ते का अलग नंबर दिया जाकर इसका क्षेत्रफल भी अंकित किया जावें।

अतः आदेश है कि वाके ग्राम पाडलिया तहसील मालाखेडा के आराजी खसरा संख्या 761/2962 में से प्रस्तावित रकबा 112.45 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 761 में 60.96 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 762 में से 164.60 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 757 में 146 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 754 में 146 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 756 में 195 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 755 रकबा 85.35 वर्ग मीटर अर्थात कुल रकबा 910.36 वर्ग मीटर (मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित) गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मालाखेडा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत गैर मुमकिन रास्ता की प्रविष्ठियॉ करे एवं नक्शा ट्रेस में उक्तानुसार इंद्राज किया जावें तथा संबंधित खातेदारों को प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु सूचित कर उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सानुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करें। पत्रावली फैसल होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)